



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

www.rajsmsa.nic.in

फोन नं: 0141-2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2019-20/10934

दिनांक : 2/3/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त-जिले।

विषय :- PMS Portal पर विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CWSN) की प्रविष्टि करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि यू-डाइस डाटा वर्ष 2017-18 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CWSN) की संख्या 91529 थी जो कि यू-डाइस डाटा वर्ष 2018-19 में घटकर 57563 ही रह गई है यानि पूर्व वर्ष की तुलना में 33966 की गिरावट आयी जो कि संभवतः विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CWSN) की यू-डाइस पर समुचित रूप से फीडिंग नहीं होने के कारण हुआ है। 33966 विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CWSN) का डाटा यू-डाइस 2018-19 में फीड ना होना निःसंदेह खेद एवं चिन्ता का विषय है।

जैसा कि आप सभी को विदित है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समावेशी शिक्षा के तहत बजट का अनुमोदन विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं की यू-डाइस संख्या के आधार पर ही किया जाता है। अतः यू-डाइस 2018-19 में समुचित डाटा फीडिंग से वंचित रहे 33966 विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CWSN) को भी वर्ष 2020-21 में केन्द्र प्रावधित व राज्य प्रावधित योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रथम प्राथमिकता के रूप में PMS Portal पर समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CWSN) की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CWSN) की PMS Portal पर आवश्यक रूप से प्रविष्टि करने बाबत अपने अधीन समस्त संस्थाप्रधानों को तत्काल निर्देशित करें। प्रभावी पर्यवेक्षण के साथ स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेकर PMS Portal पर प्रविष्टि कार्य पूर्ण करवाकर सभी संस्थाप्रधानों से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CWSN) की PMS Portal पर प्रविष्टि कर दी गई है। प्रविष्टि कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कर समस्त जिले संलग्न प्रारूप में प्रमाण-पत्र परिषद कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

(वीरेन्द्र सिंह बांकावत)

आयुक्त

स्कूल शिक्षा एवं रास्कूलशिप, जयपुर

दिनांक : 2/3/2020

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2019-20/10934

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, अति० राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त-जिले।
6. रक्षित पत्रावली।

(नसीम खान)

उपायुक्त

(समावेशी शिक्षा)

प्रमाणीकरण प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CWSN) की PMS Portal पर प्रविष्टि कर दी गई एवं कोई भी विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिका (CWSN) प्रविष्टि से वंचित नहीं रहा/रही है।

हस्ताक्षर

(मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक)
जिला

www.rajteachers.com